सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 187 राँची, बुधवार, 25 मार्च, 2026 (ई०)

Ldyh f'k{kk ,o ■k{kjrk foHkkx
¼ek/;fed f'k{kk fun'kky;½

संकल्प

29 जनवरी, 2024

सं0सं0-04/आ0-14/2022-200--श्रीमती नीरजा कुजूर, तदेन जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा (अतिरिक्त प्रभार- क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक,कोल्हान प्रमंडल,चाईबासा) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय/ झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय तथा समर्थ बालक/बालिका आवासीय विद्यालयों में बाजार दर से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति आदेश निर्गत कर वित्तीय अनियमितता करने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने,पद का दुरूपयोग कर नियम विरूद्ध कार्य करने, विभागीय निदशों का अनुपालन नहीं करने एवं उक्त कार्य कर सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-03(1)(i) एवं (ii)) के प्रतिकूल आचरण करने के प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0- 2551 दिनांक-09-11-2022 के द्वारा झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2016 के नियम-17 एवं 14 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

विभागीय जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन पत्रांक- 94 दिनांक-29-08-2023 में प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में श्रीमती नीरजा कुजूर से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब प्राप्त करते हुए प्रस्तावित दण्ड पर अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया है । उक्त के आलोक में श्रीमती नीरजा कुजूर के पत्रांक-847 दिनांक-17-11-2023 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा तथा संबंधित विद्यालय के अभिलेख एवं रोकड़ पंजी प्राप्त करने संबंधी कार्रवाई की सूचना मात्र दी गई है।

उपर्युक्त संचालित विभागीय कार्यवाही के प्रक्रियाधीन रहते हुए श्रीमती नीरजा कुजूर के दिनांक-31-12-2023 को वार्द्धक्य सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप उपर्युक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखंड पेंशन नियमावली, 2000 के नियम-43 एवं 139 के अधीन परिवर्तित की जाती है।

उपरोक्त पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

कुमुद सहाय,
सरकार के अपर सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 187 - 50